| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/कोलो/1528/2005/जैसलमेर**<br>**सरकार बनाम अरविन्द कुमार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**
**श्री गौरव बजाड़, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
(2) अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

**निर्णय**

**दिनांकः04.06.2026**

हस्तगत् निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उप निवेशन (इं.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत विरूद्ध आदेश अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर की अपील सं0 02/2003 में पारित आदेश दिनांक 06–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से तहसीलदार उपनिवेशन, नाचना–2 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा है।

2– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की निगरानी पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं संबंधित कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि अप्रार्थी का मुख्य कार्य कृषि नहीं होकर व्यापारी है एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम का सन् 1952 से तीन वर्ष के लिए ठेकेदार था। अति0 आयुक्त, जैसलमेर की रिपोर्ट दिनांक 09–04–1997 के अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम 259 का 207 आर0डी0 चारणावाली शाखा पर दिनांक 07–08–1992 से राशन वितरण का ठेकेदार था। जिसकी पुष्टि परियोजना निदेशक विश्व खाद्य कार्यक्रम, बीकानेर के पत्र दिनांक 15–02–1997 से होती है। इस कारण वह पेशे से काश्तकार नहीं होकर दुकानदारी एवं ठेकेदारी करता था किन्तु अधीनस्थ

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/कोलो/1528/2005/जैसलमेर**<br>**सरकार बनाम अरविन्द कुमार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों के विपरीत जाकर भूमि का तबादले में अविधिक तौर पर आवंटन किया है। अप्रार्थी को पूर्व आवंटित भूमि के बदले चक 15 एस.के.डी. का मु0नं0 123/33 में 18 बीघा 8 बिस्वा भूमि दिनांक 29–12–1995 को आवंटन की गयी जबकि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 12 व 13 के अनुसार किसी भूमि का विनिमय का अधिकार केवल आयुक्त उपनिवेशन/कलक्टर को है किन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना आवंटन नियमों की पालना किये अप्रार्थी को भूमि आवंटित की है। अप्रार्थी को पूर्व आवंटित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा खारिज की जा चुकी है तो फिर उन्हें उसे आवंटन किस आधार पर किया गया है। इस तथ्य का भी आवंटन अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में कोई अंकन नहीं किया है। अप्रार्थी आवंटन के समय भूमिहीन नहीं था बल्कि ठेकेदारी करता था। जिसके द्वारा तथ्यों को छिपाकर आवंटन करवाया है। जिस कारण अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। इसके साथ ही दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जावें।<br>अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–10–2004 एवं आवंटन आदेश दिनांक 29–12–1995 को निरस्त किया जावें।<br>4– सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा दिनांक 06–10–2004 को निर्णय पारित किया गया। जिस पर आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के निर्णय दिनांक 06–10–2004 एवं पत्रावली का विधिक परीक्षण करवाया एवं विधिक परीक्षण उपरान्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 24–01–2005 को तहसीलदार उपनिवेशन, नाचना – 2 को प्रभावी अधिकारी नियुक्त कर उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में अविलम्ब | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/कोलो/1528/2005/जैसलमेर**<br>**सरकार बनाम अरविन्द कुमार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | निगरानी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर प्रभावी अधिकारी को दिनांक 06–02–2005 को प्राप्त हुआ तत्पश्चात् पंचायत चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त रहने के उपरान्त अजमेर आकर राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर निगरानी तैयार करवाकर बिना किसी विलम्ब के मण्डल में प्रस्तुत की जा रही है जो देरी सद्भाविक होने से क्षम्य किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक एवं समुचित होने से निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।<br>5– हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गयी एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।<br>6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना द्वारा दिनांक 30–03–1995 को राजस्थान उपनिवेशन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील नाचना–2 के चक 24 एन.यू.डी. का मु0नं0 19/39 की 19 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गयी। तत्पश्चात् अप्रार्थी द्वारा भूमि का तबादला हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिनांक 28–12–1995 को चक नं0 15 एस.के.डी. का मु0नं0 123/33 में 18 बीघा 8 बिस्वा कमाण्ड भूमि का अप्रार्थी को आवंटन करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आवंटन को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22(3) के तहत अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ पेश किया। जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06–10–2004 द्वारा निरस्त करते हुये आवंटन को बहाल रखने के आदेश पारित किये गये।<br>7– पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–10–1995 को अप्रार्थी का मुख्य कार्य कृषि नहीं होकर बल्कि दुकानदारी एवं ठेकेदारी करना है। जिसके कारण उक्त आवंटन निरस्तनीय है। अप्रार्थी को पूर्व आवंटित भूमि के बदले चक 15 एस.के.डी. | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/कोलो/1528/2005/जैसलमेर**<br>**सरकार बनाम अरविन्द कुमार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

के मु0नं0 123/33 में 18.08 बीघा भूमि दिनांक 29–12–1995 को आवंटित कर दी गयी। जबकि राजस्थान उपनिवेशन की धारा 12 व 13 के तहत किसी भूमि का विनिमय का अधिकार केवल आयुक्त उपनिवेशन/कलक्टर को ही है। आवंटन अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अप्रार्थी को आवंटन किया है। अप्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा निरस्त की जा चुकी थी तो फिर पुनः उसे आवंटन किस आधार पर किया गया है।

8– प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी व्यापारी एवं ठेकेदार रहा है। उसने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि वह सद्भावी काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा सद्भावी काश्तकार होने के संबंध में किसी अन्य भूमि पर काश्त किये जाने का कोई तथ्य अथवा दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये अप्रार्थी को दिनांक 29–12–1995 को किया गया आवंटन अविधिक रूप से किया गया है जो कि निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट तहसीलदार उपनिवेशन, नाचना–2 द्वारा नियम 22 (3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी न्यायहित में **स्वीकार** की जाकर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–2004 को निरस्त किया जाता है तथा आवंटन आदेश दिनांक 29–12–1995 को भी खारिज किया जाता है।

10– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(गौरव बजाड़)**
**सदस्य**